# भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–01 / 2017–18

केश का प्रकार :– नामान्तरण अपील

हराधन दास, पिता–स्व0 हरिपद दास ........................................ अपीलकर्त्ता

–बनाम–

शिव शंकर ठाकुर, पिता–श्री किशोरी ठाकुर........................................विपक्षी

| क्रमांक / तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| | यह नामान्तरण अपील वाद अपीलकर्त्ता हराधन दास, पिता–स्व0 हरिपद दास, निवासी ग्राम–कामारीगोड़ा, थाना–चाकुलिया, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने श्री शिव शंकर ठाकुर, पिता–श्री किशोरी ठाकुर, ग्राम–चाकुलिया, थाना–चाकुलिया को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या–135 / 2009–10, दिनांक–16 / 12 / 2009 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया हैं। अपील आवेदन पत्र के साथ Condonnation petition U/S-5 of Limititation Act., सत्यापित बिक्री केवाला की छायाप्रति तथा अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न किया गया है। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, चाकुलिया से नामान्तरण संख्या–135 / 2009 चाकुलिया की मांग की गयी। निम्न न्यायालय का नामान्तरण मुकदमा संख्या–135 / 2009 चाकुलिया प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा Limitation Act की धारा–5 के तहत दायर आवेदन पत्र पर सुनवाई के पश्चात इस वाद की प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में अभिलेखबद्ध किया गया हैं।<br><br>अपीलकर्त्ता ने अपने अपील आवेदन द्वारा उल्लेखित किया गया हैं कि श्री हराधन दास, पिता–स्व0 हरिपद दास, द्वारा मौजा–कामारीगोड़ा, थाना नं0–331, खाता नं0–27, प्लॉट नं0–386, रकवा–2.05 एवं प्लॉट सं0–387, रकवा–1.75 एकड़, भूमि का नामान्तरण हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। यह वाद प्रथम पक्षकार हराधन दास, पिता–स्व0 हरिपद दास द्वारा बिकी केवाला संख्या–2567, दिनांक–13.11.2009 द्वारा श्री शिव शंकर ठाकुर, पिता–श्री किशोरी ठाकुर को भूमि के मूल्य 77,000 रू0 पर बेची गयी है। इसमें राशि के संबंधित लेन–देन | |

उभय पक्ष की सहमति संबंधी बिक्री केवाला के पृष्ठ सं0–03 पर वर्णित है। तदोपरांत प्रथम पक्षकार द्वारा अंचल अधिकारी चाकुलिया को राशि प्राप्ति न होने कारण दाखिल खारिज रोकने संबंधी आवेदन दिया, जो कि तार्किक नहीं है। द्वितीय पक्षकार को बारंबार आदेशित करने के बावजूद इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा गया है। प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र ही इनका लिखित पक्ष है। आवेदन के इस बिन्दु पर प्रथम पक्षकार को भूमि बिक्रय उपरान्त पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई है, अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा पारित नामान्तरण वाद आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजात तथा विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात न्यायालय का अभिमत है कि प्रासंगिक नामान्तरण मुकदमा संख्या–135/2009 अंचल अधिकारी, चाकुलिया का पारित आदेश सही हैं। अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार मुल अभिलेख अंचल अधिकारी, चाकुलिया को वापस भेजें।

विधि व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–26/08/2020 को पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

26/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

26/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

उभय पक्ष की सहमति संबंधी बिक्री केवाला के पृष्ठ सं0–03 पर वर्णित है। तदोपरांत प्रथम पक्षकार द्वारा अंचल अधिकारी चाकुलिया को राशि प्राप्ति न होने कारण दाखिल खारिज रोकने संबंधी आवेदन दिया, जो कि तार्किक नहीं है। द्वितीय पक्षकार को बारंबार आदेशित करने के बावजूद इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा गया है। प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र ही इनका लिखित पक्ष है। आवेदन के इस बिन्दु पर प्रथम पक्षकार को भूमि बिकय उपरान्त पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई है, अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा पारित नामान्तरण वाद आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजात तथा विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात न्यायालय का अभिमत है कि प्रासंगिक नामान्तरण मुकदमा संख्या–135/2009 अंचल अधिकारी, चाकुलिया का पारित आदेश सही हैं। अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार मुल अभिलेख अंचल अधिकारी, चाकुलिया को वापस भेजें।

विधि व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–26/08/2020 को पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

26/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

26/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।